

सेवाकर : राजस्व में उल्लेखनीय योगदान

डॉ. आनंद तिवारी

प्राध्यापक - वाणिज्य

शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

सारांश

भारत में वस्तुओं के क्रय-विक्रय पर लगभग पच्चतर वर्षों से कर आरोपित किया जा रहा है। लेकिन सेवाओं पर उनीस सौ चौरानवें तक कोई कर नहीं लगता था भारत की सकल राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का योगदान साठ प्रतिशत है। जबकि राजस्व प्राप्ति में सेवाकर का योगदान नगण्य रहा, सरकार का ध्यान इस ओर उनीस सौ चौरानवें में गया और सरकार ने शेयर-दलाली, टेलीफोन बिल तथा बीमा प्रीमियम की इन तीन सेवाओं को इस परिधि में ले लिया। शनैः शनैः करयोग्य सेवाओं की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती गयी और वर्ष 2011-12 में कर योग्य सेवाओं की संख्या एक सौ बाईस हो गयी है। वर्तमान में सरकारी सेवाओं, कृषि सेवाओं तथा शिक्षा सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाओं को इस परिधि में शामिल कर लिया है। जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ शेष संपूर्ण भारत में यह कर देय होता है। विदेशों में प्रदाय सेवाओं पर यह कर नहीं लगता है।

शोध समस्या

सेवा कर भारत में केन्द्र सरकार द्वारा आरोपित अप्रत्यक्ष कर है। यह कर प्रत्येक सेवाप्रदाता पर आरोपित होने वाला कर है। अप्रत्यक्ष करों में सेवाकर का योगदान निश्चित ही रूप से उल्लेखनीय है। सेवाकर वस्तुतः प्रदाय की गई सेवाओं पर आरोपित कर है। ऐसा कर प्रदायक सेवा के मूल्य में शामिल होता है। सेवाकर के रूप में प्राप्त राजस्व का उपयोग केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है।

शोध परिकल्पनाएँ

1. राजस्व प्राप्ति में सेवाकर का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सेवाकर की परिधि में न केवल सरकारी सेवायें अपितु निजी सेवाएं भी समाहित कर गई हैं।
2. सेवाकर के रूप में राजस्व केन्द्र सरकार को प्राप्त होता है।
3. सेवाकर आरोपित करने की मूल मंशा इस तथ्य पर आधारित है जैसे उत्पाद या वस्तु के उत्पादन एवं विक्रय पर उत्पाद शुल्क तथा वैट आरोपित किया जाता है। उसी प्रकार सेवा प्रदाय पर सेवाकर आरोपित होना चाहिए।

शोध सीमाएँ

शोध आलेख मूलतः द्वितीयक स्त्रेतों पर आधारित है सेवाकर शोध हेतु चयनित विषय पर वस्तु एवं विषय सामग्री शोध ग्रन्थों, शोध जर्नल्स एवं सरकारी प्रतिवेदनों के आधार पर संकलित की गई है। प्राथमिक सर्वेक्षण का कार्य संभव नहीं हो पाया है।

सेवाकर की अवधारणा

सेवाओं की प्रदायगी पर लगाया जाने वाला कर सेवाकर कहलाता है। सेवाकर एक अप्रत्यक्षकर है,

यह कर केन्द्र सरकार द्वारा आरोपित किया जाता है तथा संग्रहित किया जाता है। सेवाकर से आशय ऐसे कर से है जो भारत में प्रतिफल के बदले में प्रदान की जाने वाली कर-योग्य आर्थिक, व्यावसायिक तथा वाणिज्यिक सेवाओं पर निर्धारित दर से लगाया जाता है, यह कर सेवा प्रदान करने वाले से संग्रहित किया जाता है तथा इसका भार सेवा के उपभोक्ता को वहन करना पड़ता है सेवा प्रदायता इसे विल में शामिल कर देता है और यह कर सकल राशि में जोड़ा जाता है।

राजस्व में योगदान :

वित्तीय वर्ष 2011-12 तक इस कर की परिधि में एक सौ बीस से अधिक सेवाएँ कर योग्य सेवाओं की श्रेणी में आती थीं किंतु 2012-13 तक सेवाकर में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया कतिपय अपवादों को छोड़कर शेष समस्त सेवाओं को कर योग्य सेवाओं की श्रेणी में शामिल किया गया है। ऐसा सेवा-प्रदाता जिसकी कर योग्य सेवाओं का मूल्य दस लाख रुपये तक है उन्हें सेवाकर से मुक्त रखा गया है। सेवाकर से प्राप्त राजस्व में तेजी से वृद्धि हुई है यह सरकार के प्रमुख चार करों आयकर, उत्पाद शुल्क, सीमाशुल्क के साथ शामिल हो गया है। 1994-95 में सेवा कर प्राप्त राशि चार सौ करोड़ रुपये थी जो 2015-16 में बढ़कर दो लाख दस हजार करोड़ रुपये अनुमानित कुल कर का सोलह प्रतिशत भाग सेवा कर के रूप में प्राप्त होता है। सेवाकर से प्राप्त राशि एक निश्चित प्रतिशत भाग वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर राज्यों को विभाजित किया जाता है।

कर योग्य सेवाएँ :

सेवा कर के अंतर्गत आने वाली प्रमुख सेवाओं में टेलीफोन, सामान्य बीमा, ड्रायक्लीन, फोटोग्राफी, रेल-वायु यात्रा एजेंसी, कैटरिंग सर्विस स्टेशन, ब्यूटीपार्लर, केवल आपरेटर, वास्तुविद डेकोरेटर, चार्टेड एकाउंटेंट, शेयर दलाली, विज्ञापन एजेंसी, तकनीकी परामर्श, कोरियर, प्रापर्टी ब्रोकर, इंटीरियर डेकोरेटर, फैशन डिजाइनिंग, हेल्थ क्लीनिक आदि सेवाएँ शामिल हैं।

सेवाकर से प्राप्त राजस्व एवं सेवाकर की दरें

वर्ष	प्रतिशत	सेवाकर से प्राप्त राशि (करोड़ रुपयों में)
1994-03	5	400
2003-04	8	14000
2004-06	10	23000
2006-09	12.36	50,000
2009-12	10.3	95,000
2012-14	12.36	168000
2015-16	14	210000

वर्तमान में सेवाकर की दर 14 प्रतिशत तथा स्वच्छता उपकर 15 नवम्बर 2015 से 0.5 प्रतिशत आरोपित किया गया है। इस प्रकार वास्तविक कर की दर 14.5 प्रतिशत हो गयी है। वर्ष दो हजार बारह से सेवाकर के संबंध में कर योग्य सेवाओं की पूर्व घोषित पूँजी के स्थान पर नकारात्मक सूची लागू की गई है।

नकारात्मक सूची के कतिपय सेवाएँ जैसे केन्द्र एवं राज्य तथा स्थानीय सरकार द्वारा दी गयी प्रशासनिक शैक्षणिक, स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि संबंधी सेवाएं माल उत्पाद विश्व विद्युत प्रदाय, शिक्षण प्रदाय आदि को छोड़कर सभी कर योग्य सेवाओं को शामिल किया गया है।

पूर्णतः कर मुक्त सेवाएँ :

पूर्णतः कर मुक्त सेवाओं के अंतर्गत ऐसी सेवाएँ आती हैं जो मूल्यवान प्रतिफल रूप में दी जाती है और इसकी प्रदायगी पर सेवाकर देय नहीं होता है। इसके अंतर्गत केन्द्र, राज्य तथा नगरीय निकायों द्वारा नागरिकों को प्रदाय की जाने वाली प्रशासनिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक सेवायें कर-योग्य नहीं होती हैं। नगर निगम, नगरपालिका तथा ग्राम पंचायतों द्वारा जल प्रदाय, जन स्वास्थ्य सुविधायें, स्वच्छता गंदी वस्ती विकास, उद्यान, शवदाह गृह, प्रकाश व्यवस्था आदि कर योग्य नहीं होती हैं। रिजर्व बैंक द्वारा नोट निर्गमन सरकारी बैंकर के रूप में दी गई सेवाएँ एवं परामर्श सेवाएँ कर योग्य नहीं होती हैं। कृषि से संबंधित बुवाई, कटाई, थ्रेसिंग, पौधारोपण, कृषि खनिजों की पूर्ति, कृषि पदार्थों में पैकिंग, संग्रहण, कृषि विस्तार सेवाएं, विपणन आदि द्वारा प्रदान सेवा कृषि उत्पादों के विनिमय हेतु राशि एजेंट के रूप में प्रदाय सेवा, टोलटैक्स, जुआ, लॉटरी, मनोरंजन सुविधाएँ, विद्युत प्रदान, शिक्षा सुविधा, रिहायशी, बैंकिंग सेवाएँ, परिवहन सुविधाएँ, शवदाह गृह सुविधा, धार्मिक, स्वास्थ्य सेवाएँ आदि कर मुक्त होगी।

स्पष्ट घोषित कर योग्य सेवाएँ :

कतिपय सेवाएँ स्पष्ट रूप से घोषित सेवाओं की श्रेणी में आती हैं जिसके अंतर्गत रिहायशी इलाकों के अलावा अन्य उपयोग हेतु कंपनियों को किराये पर देना, निर्माण सेवाएँ, बौद्धिक सेवाएँ, साफ्टवेयर, माल किराये पर देना, किराये का ठहराव, केटरिंग कार्य, संविदा सेवाएँ आदि ये सभी कर योग्य होगी। आयकर योग्य सेवाओं में विज्ञापन, अभिकरण, एयरकार ऑपरेटर, एयरपोर्ट, अथॉरिटी वायुमार्ग अभिकर्ता सेवा, वास्तुविद, अधिकृत सर्विस स्टेशन, बैंकिंग सेवाएँ, सौन्दर्य उपचार, ब्रडकास्टिंग सेवा व्यवसाय, सहायक सेवा व्यापारिक केवल ऑपरेटर, लावी, कोचिंग, फैशन डिजानिंग, हेल्थ परामर्श इंजीनियर, लागत लेखांक, कोरियर सेवा, सीमा शुल्क एजेंट, शेयर दलाल, पर्यटक ऑपरेटर सभागार सेवाएँ शामिल हैं।

वैधानिक प्रावधान

सेवाकर भुगतान का दायित्व सेवा प्रदायक का होता है। वह चाहे तो उसे सेवा बिल में जोड़कर वसूल कर सकता है, सेवा प्रदायक को सेवा शुल्क निर्धारित अवधि में निर्धारित दर से सरकारी कोष में जमा करना पड़ता है। सेवाकर प्रत्येक माह का पच्चीस तारीख को जमा करना होगा, सेवा प्रदायक सरकारी या साझेदारी फर्म है तो तिमाही भुगतान किया जाएगा, चाहे सेवा शुल्क उपभोक्ता से प्राप्त हुआ हो या नहीं इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि कोई व्यक्ति फर्म, कंपनियाँ, संगठन कोई कर योग्य सेवा संचालित कर रहा है और उसने द्वारा प्रदाय की जाने वाली सेवाओं का मूल्य वर्ष के एक लाख रूपये अधिक हो जाता है तो उसे तीस दिन में पंजीयन करना होगा। पंजीयन हेतु केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी को डिपाजिट कर एसटी एक में आवेदन करना होगा। पंजीयन शुल्क पांच सौ रूपये से एक हजार रूपये होगा।

सेवाप्रदाता को छः माही रिट्टन जमा होगा भारत में सेवाकर हेतु प्रशासन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के द्वारा किया जाता है। सेवाकर के संदर्भ में पंजीयन, रिट्टन, कर डिपाजिट आदि उत्पाद शुल्क विभाग के

अधिकारी ही करते हैं इसके लिए पृथक विभाग नहीं बनाया गया है। भारत में सेवाकर का भुगतान को अठारह प्रतिशत वार्षिक दर में ब्याज देय होता है पंजीयन न करने पर दस हजार रुपये अतिरिक्त लगेगा। सेवाकर की चोरी पर पचास प्रतिशत अर्थदंड भी लगेगा यदि कर दाता ऐसे आदेश के तीस दिन में सेवाकर तथा अर्थदंड भुगतान कर दे, तो अर्थदंड की राशि घटाकर पच्चीस प्रतिशत कर दी जायेगी पर कम समय पर रिट्टन जमा न कर पाने पर अधिकतम बीस हजार रुपये अर्थदंड देय होगा।

निष्कर्ष

भारतीय अर्थ व्यवस्था कृषि प्रधान है परंतु दुर्भाग्यवश राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा बीस प्रतिशत से भी कम है। जबकि सेवा कोई भी भाग साठ प्रतिशत से भी अधिक ऐसी स्थिति में सरकार ने जुलाई 1999 के सेवा कर आरोपित किया सरकार ने यह अनुभव किया कि जिस प्रकार वस्तुओं के विक्रय या विक्रयकर या वाणिज्यिक कर लगता है। उसी प्रकार आर्थिक एवं व्यावसायिक सेवाओं की पूर्ति पर भी लगभग करना चाहिए क्योंकि ये भी प्रतिफल के बदले में प्रदान की जाती है। सेवाकर राजस्व प्राप्ति में उल्लेखनीय महत्व रखता है। राजस्व की वृद्धि में सेवाकर चौथे स्थान पर है। सेवाओं को कर की परिधि में लेने से वेट की दरों पर नियंत्रण लगाना सरकार के लिए आसान हो गया। यदि सेवाकर नहीं लगाया जाता तो विक्रयकर या वेट कर की दरें बहुत बढ़ जाती, सेवाकर लगाने का एक उद्देश्य यह भी था कि जिस प्रकार उत्पादक, उत्पादन पर उत्पाद शुल्क, आयातक सीमाशुल्क, आयातकर्ता व्यापारी विक्रय कर चुकाने हेतु उत्तरदायी होता है, तो सेवा प्रदायक अपने द्वारा प्रदाय सेवाओं पर कर हेतु क्यों उत्तरदायी नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय विकास में सेवा क्षेत्र का योगदान होना चाहिए। सेवाकर लगाने का एक अन्य उद्देश्य विलासितापूर्ण सेवाओं के अत्यधिक उपयोग पर अंकुश लगाना है। सेवाकर के कारण विलासितापूर्ण सेवायें महंगी हो जायेंगी और जनसामान्य उनका उपयोग सीमित करेंगे। सेवाकर चुकाने का दायित्व सेवा प्रदायक पर होते हैं।

सन्दर्भ

1. मेहरोत्रा, एच.सी. - अप्रत्यक्ष कर, साहित्य भवन, आगरा।
2. सकलेचा, श्रीपाल - सेवा कर, सतीश प्रिन्टर्स, इन्डौर।
3. लखोरिया- कर नियोजन एवं प्रबंध, दिल्ली।
4. संघानिया, विनोद - डाईक्ट टैमन इन इण्डिया, टैमामेन पब्लिकेशन, नई दिल्ली।